



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127724

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. - 19394 वर्ष 2026

रामभरोसी

.....आवेदक(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : देव प्रकाश शर्मा, प्रियंका देवी

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय सं. - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उ.प्र. राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. यह जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध सं. 24 वर्ष 2026 अन्तर्गत बी.एन.एस. की धारा 80(2)/85 और डीपी अधिनियम की धारा 3/4, थाना खरेला जिला महोबा, मामले में जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि कथित घटना 29.03.2026 को घटी थी, जबकि एफआईआर 03.04.2026 को दर्ज की गई थी। एफआईआर दर्ज करने में इस अत्यधिक देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। एफआईआर उचित परामर्श और विचार-विमर्श के बाद दर्ज की गई थी। मृतक की पंचनामा रिपोर्ट पुलिस द्वारा 29.03.2026 को तैयार की गई थी और आवेदक

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गवाहों में से एक थे। मृतक की मृत्यु की सूचना 29.03.2026 को मिलन अहिरवार ने दी थी, जो मृतक का जेठ है, जब पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट (?) तैयार की थी। आवेदक मृतक का ससुर है और उस पर सामान्य और अस्पष्ट आरोप लगाए गए हैं। मृतक ने अपने पति से विवाद के कारण आत्महत्या की थी। मृतक के शरीर पर गले में फंदा लगने के निशान के अलावा कोई बाहरी चोट नहीं है। मृत्यु का कारण फांसी के कारण दम घुटना था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक 4 अप्रैल 2026 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत देने के अनुरोध का विरोध किया और कहा कि आवेदक के खिलाफ अपराध में संलिप्तता के पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

5. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों, आवेदक द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के अभाव और मामले की मेरिट पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय ने पाया कि आवेदक ने जमानत दिए जाने के लिए मामला सिद्ध किया है।

6. तदनुसार, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

7. उपर्युक्त मुकदमा अपराध के आरोपी आवेदक **रामभरोसी** को व्यक्तिगत बंधपत्र और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक यह वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि आवेदक बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भा.दं.सं./ 269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दं.प्र.सं./ 84 बी.एन.एस.एस के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए भा.दं.सं./ 209 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 दं.प्र.सं./ 351 बी.एन.एस.एस के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

17 जून, 2026

ए.पी. पांडे

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।